

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र० झांसी
पत्रांक- 1024/33-1 / दिनांक, झांसी, अगस्त 25 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम 1980
लखनऊ उ०प्र० ।

विषय- 765 के०वी० डी०सी० उरई - अलीगढ पैकेज टी०ई० 06 पारेषण लाईन के निर्माण में प्रस्तावित जालौन वन प्रभाग की 0.268 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वांनिकी प्रयोग एवं मार्ग पटरियों पर खड़े प्रस्तावित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- अपका कार्यालय पत्रांक 129/11-सी०-एफ०पी०/यू०पी०/ट्रान्स/21318 दि० 18.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में आपके द्वारा संदर्भित पत्र से लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निर्धारित प्रारूप में सुसंगत वांछित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में प्रभागीय वनाधिकारी उरई ने उनके कार्यालय पत्रांक 642/33-1 दिनांक 23.08.2017 से इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव पायी गई आपत्तियों का निर्धारित प्रारूप में सुसंगत अभिलेख निराकरण कर संलग्न करते हुये अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक -1. उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप तीन प्रतियों में।

2. प्रभागीय वनाधिकारी उरई का पत्रांक

642/33-1 दिनांक 23.08.2017 की प्रति।

भवदीय

(अशोक कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या- /समदिनांक।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, उरई।

2. मुख्य प्रबन्धक उप केन्द्र/लाईन निर्माण पावर ग्रिड उरई को इस आशय से प्रेषित कि आप किसी अवर/सहायक अभियन्ता को इस कार्यालय से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त कराकर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र०, 17 राणाप्रताप मार्ग लखनऊ के कार्यालय में प्रस्तुत कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक - 642 / 33-1 / उरई, दिनांक अगस्त 23 2017।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र० झांसी।

विषय:- 765 के०वी० डी०सी० उरई -अलीगढ़ पैकेज टी०ई० 06 पारेषण लाईन के निर्माण में प्रस्तावित जालौन वन प्रभाग की 0.268 हे० संरक्षित वन भूमि के गैवानिकी प्रयोग एवं मार्ग पटरियों पर खडे प्रस्तावित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- Proposal No. FP/UP/TRANS/21318/2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रश्नगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 129/11-सी-एफ०पी०/यू.पी./TRANS/21318 दिनांक 18.07.2017 द्वारा आपत्तियां क्रमांक 1 से 5 तक इंगित कमियों का बिन्दुवार निस्तारण निम्नवत है:-

Observe No.	Observation	Reply
1	आनलाईन भाग-2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के Geo Refferenced Digital Map की के०एम०एल० अपलोड की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है।	Geo Refferenced Digital Map की संशोधित के०एम०एल० अपलोड की गई है।
2	आनलाईन भाग -2 क्रमांक 13(1) पैच वाइज डिटेल में क्षेत्रफल व अन्य विवरण त्रुटिपूर्ण फीड किया गया है।	आनलाईन भाग -2 क्रमांक 13(1) पैच वाइज डिटेल में क्षेत्रफल व अन्य विवरण संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रस्तावित वन भूमि के एन०पी०वी० में संशोधन के उपरान्त बढी हुई एन०पी०वी० की धनराशि के भुगतान की वचनवद्धता जो उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न नहीं है।	एन०पी०वी० की धनराशि के भुगतान की वचनवद्धता जो उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव के साथ सी०डी० में प्रस्तावित वन भूमि के Geo Refferenced Digital Map एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के टोपोशीट की Geo Refferenced Digital Map की पी०डी०एफ० फाइल तथा एस०ओ०आई० टोपोशीट की पी०डी०एफ० फाइल नहीं है।	प्रस्ताव के साथ सी०डी० में प्रस्तावित वन भूमि के Geo Refferenced Digital Map एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के टोपोशीट की Geo Refferenced Digital Map की पी०डी०एफ० फाइल तथा एस०ओ०आई० टोपोशीट की पी०डी०एफ० फाइल डाल दी गयी है।
5	प्रस्ताव में झांसी-कानपुर रोड (एन०एच०-27) के कि०मी० के मध्य कासिंग की 1:50000 माप की टोपोशीट संलग्न नहीं की गयी है। जबकि प्रस्ताव में क्षतिपूरण वृक्षारोपण की अतिरिक्त टोपोशीट संलग्न की गयी है जिसे प्रस्ताव से पृथक करें।	झांसी-कानपुर रोड (एन०एच०-27) के कि०मी० के मध्य कासिंग की 1:50000 माप की टोपोशीट संलग्न कर दिया गया है एवं अतिरिक्त टोपोशीट पृथक कर दिया गया है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा०वा०, वन प्रभाग उरई।

पृ०सं०- / सप्तदिनांक।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य प्रबंधक (उपकेन्द्र/लाइन निर्माण) पावर ग्रिड उरई को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की चारों प्रतियां लेकर सम्बन्धित को वन संरक्षक बुन्देलखण्ड वृत्त झांसी के कार्यालय से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा०वा०, वन प्रभाग उरई।